कार्यकारी सारांश

हमने लेखापरीक्षा के लिए इस विषय को क्यों चुना?

गृह मंत्रालय (एम.एच.ए.) के पास बहुत सी जिम्मेदारियां हैं जिसमें देश की आंतरिक सुरक्षा मुख्य है, जिसमें केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी.ए.पी.एफ.) का प्रबंधन शामिल है। संघ सरकार के सात सशस्त्र पुलिस बल एम.एच.ए. के प्राधिकारी नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। सी.ए.पी.एफ. सीमा की सुरक्षा करने तथा देश की आंतरिक सुरक्षा के रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उचित कार्यालय भवन तथा काम करने का वातावरण प्रदान करने में कमियां इन बलों के कार्य करने में बाधा डालती है। सी.ए.पी.एफ. कर्मियों को आवासीय सुविधाओं का प्रावधान बल के मनोबल के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि वह दूर-दराज के इलाकों एवं अत्यंत कठिन मौसम परिस्थितियों में काफी घंटों तक कार्य करते हैं।

उनके मुख्यालय तथा फील्ड कार्यालयों समेत सी.ए.पी.एफ. की लेखापरीक्षा के हमारे पूर्व अनुभव से पता चला कि भूमि के अधिग्रहण तथा निर्माण गतिविधियों के समापन में विलंब के कारण परिणाम न केवल अधिक लागत एवं अधिक समय में हुआ बल्कि निर्माण गतिविधियों के सामयिक लाभों को मिलने से प्राप्तकर्ताओं को भी वंचित रखा था। इस पृष्ठभूमि में, हमने इस निष्पादन लेखापरीक्षा को संचालित करने का निर्णय लिया। निर्माण गतिविधियों के कुल पर्यवेक्षण के संदर्भ में कार्यकारी एजेंसियों एवं एम.एच.ए., सी.ए.पी.एफ., की भूमिका की लेखापरीक्षा करने के अलावा, हमने परियोजनाओं में विलंब के लिए कारणों पर भी ध्यान केंद्रित किया जिसके कारण अधिक लागत एवं अधिक समय लगा था।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के कवरेज की अवधि 2008-09 से 2013-14 तक की थी। 2008-09 से 2013-14 के दौरान ₹12483.7 करोड़ के आवंटन के प्रति, सी.ए.पी.एफ. द्वारा भूमि अधिग्रहण मामलों समेत मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत ₹12043.90 करोड़ की राशि का व्यय किया गया था।

हमारी लेखापरीक्षा के क्या उद्देश्य थे?

निष्पादन लेखापरीक्षा की शुरुआत यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या:

- निर्धारित मानदंडों के अनुसार पर्याप्त भूमि को लागत प्रभावी रूप में समय पर प्राप्त किया गया था तथा निर्माण हेतु उपलब्ध करवाई गई थी।

- संबंधित एजेंसियों ने निर्माण गतिविधि के दौरान वित्तीय औचित्य रखा था।
- निर्माण गतिविधियों को प्रासंगिक सरकारी नियम एवं अधिनियम के अनुसार निर्धारित समय सीमा तथा लागत में किया गया था।
- भूमि अधिग्रहण तथा निर्माण के पीछे अभिप्रेत उद्देश्य को प्रभावी रूप से प्राप्त किया गया था।
- कार्यकारी एजेंसियों के साथ एम.एच.ए. तथा सी.ए.पी.एफ. ने उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत मॉनीटरिंग तंत्र का अनुसरण किया था।

हमारी निष्पादन लेखापरीक्षा ने क्या प्रकट किया?

अध्याय-I में सी.ए.पी.एफ. की पृष्ठभूमि सूचना तथा हमारा लेखापरीक्षा दृष्टिकोण तथा कार्यप्रणाली प्रदान की गई है। अध्याय-II में सी.ए.पी.एफ. के लिए कार्यालय एवं आवासीय इमारतों के लिए योजना एवं बजटीकरण आवश्यकता प्रदान की गई हैं। अध्याय-III और IV में क्रमशः भूमि अधिग्रहण मामलों तथा मुद्दा-वार निर्माण गतिविधियों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष प्रदान किए गए है। अध्याय-V योजना एवं निर्माण कार्यों के निष्पादन में शामिल मुद्दों से संबंधित कार्यकारी एजेंसियों के तुलनात्मक मामलों के बारे में प्रदान करता है। अध्याय-VI गुणवत्ता आश्वासन, मॉनीटरिंग पहलुओं, सृजित परिसंपत्तियों के उपयोग एवं अनुरक्षण से संबंधित मुद्दों पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्रदान करता है। अध्याय-VII निर्माण कार्यों के निष्पादन के दौरान सी.ए.पी.एफ. तथा कार्यकारी एजेंसियों द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं पर ध्यान केन्द्रित करता है। अध्याय-VIII में बल-वार निर्माण गतिविधियों का तुलनात्मक विश्लेषण शामिल है। अध्याय-IX में पूर्व अध्यायों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आधारित निष्कर्ष का प्रतिपादन करता है। निष्पादन लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गए हैः

1. निर्माण गतिविधियों के लिए योजना बनाना

- एम.एच.ए. ने इकाईयों की प्रस्तुती को संस्वीकृत करते समय कार्यालय एवं आवासीय इमारतों के निर्माण के लिए पर्याप्त संस्वीकृतियों को जोड़ा नहीं था।

(पैरा 2.2.1)

- एम.एच.ए. तथा सी.ए.पी.एफ. कार्यालय इमारतों के साथ सी.ए.पी.एफ. कर्मियों के लिए आवासीय सुविधा की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाए थे। ₹2.99 लाख रिहायशी इकाइयों की प्राधिकृत आवश्यकता के प्रति, सी.ए.पी.एफ. कर्मियों के लिए

केवल ₹1.54 लाख रिहायशी इकाइयां उपलब्ध थीं तथा 5113 कार्यालय इमारतों की आवश्यकता के प्रति केवल 2041 उपलब्ध थीं।

(पैरा 2.2.1 & 2.2.2)

- सी.ए.पी.एफ. में आवासीय सुविधा प्रदान करने में संतुष्टि स्तर कम था जो कि लक्षित 25 प्रतिशत संतुष्टि स्तर के प्रति मार्च 2014 तक 2.96 प्रतिशत से 22.48 प्रतिशत के बीच था।

(पैरा 2.2.2.1)

- लोक निर्माण कार्य संगठन (पी.डब्ल्यू.ओ.) को सी.ए.पी.एफ. द्वारा केवल नामांकन आधार पर चयन किया गया था। सी.ए.पी.एफ. पी.डब्ल्यू.ओ. के चयन मानदण्ड में न तो प्रतियोगितात्मक वातावरण था न ही पारदर्शिता थी केवल धन के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि अन्य प्रदेयों में भी जैसे समय एवं गुणवत्ता का पालन तथा सौंपे जाने के बाद अनुरक्षण मुद्दों के संदर्भ में।

(पैरा 2.5)

2. भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया

- ₹236.05 करोड़ की कीमत के 132 चयनित भूमि अधिग्रहण मामलों में से 56 मामलों में, मूल स्थान योजना के अनुमोदन की तिथि से अधिग्रहण भूमि में भूमि का स्वामित्व प्राप्त करने में 5 माह से 9.7 वर्षों तक का निर्धारित समय सीमा से अधिक विलंब था। इसके अतिरिक्त, चयनित भूमि अधिग्रहण मामलों में 31 मामलों (23 प्रतिशत) में सी.ए.पी.एफ. ने संबंधित राज्य सरकार के पास लागत को जमा करने के बावजूद निर्धारित समय सीमा के भीतर भूमि का अधिग्रहण नहीं किया था।

(पैरा 3.1)

- 23 मामलों में, प्राधिकरण से अधिक भूमि अधिग्रहण किया गया था जिसके कारण ₹29.21 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ था।

(पैरा 3.1)

- पट्टा आधार पर केरल में भूमि अधिग्रहण के पांच मामलों में, पट्टे विलेख में समाप्ति के पश्चात इसमें विस्तार हेतु कोई खंड शामिल नहीं था, जोकि एम.एच.ए. द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन था। पट्टा अनुबंधों में दी गई शर्तें बल के हित के लिए हानिकारक थी।

(पैरा 3.2.2)

- भूमि अधिग्रहण के 18 मामलों में, बिक्री विलेख/परिवर्तन को सी.ए.पी.एफ. द्वारा निष्पादित नहीं किया गया था जोकि एम.एच.ए. दिशानिर्देशों के उल्लंघन में था।

(पैरा 3.2.4)

3. निर्माण गतिविधियां - मुद्दा-वार

- कार्यकारी एजेंसियों द्वारा गलत प्रारंभिक अनुमानों (पी.ई.) के कारण ₹14.22 करोड़ तक अधिक पी.ई. हुए थे।

(पैरा 4.1.4)

- पी.ई. को अंतिम रूप देने के लिए न तो एम.एच.ए. न ही पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा कोई मानदंड/समय सीमाएं निर्धारित की गई थी। इससे बाद के लक्ष्यों पर व्यापक प्रभाव पड़ा था, जिसके कारण कई महीनों तक परियोजना विलंबित हुई थी।

(पैरा 4.1.6)

- सा.वि.नि. के नियम 130 के उल्लंघन में उच्चतर प्राधिकारियों के अनुमोदन से बचने के लिए संबंधित सी.ए.पी.एफ./एम.एच.ए. के सभी डी.जी. द्वारा ₹206.62 करोड़ की राशि के निर्माण कार्यों को 2 से 8 निर्माण कार्यों में बांट दिया गया था।

(पैरा 4.2.1)

- प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति (ए.ए./ई.एस.) को स्वीकृति प्रदान करने के लिए सी.ए.पी.एफ./एम.एच.ए. द्वारा कोई मानदंड/समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। 197 निर्माण कार्यों में, एम.एच.ए./सी.ए.पी.एफ. ने ए.ए. एवं ई.एस. को स्वीकृति देने में पांच माह से अधिक (लिया गया औसत समय) का समय लिया था।

(पैरा 4.2.2)

- ₹1161.10 करोड़ के 240 निर्माण कार्यों में, निविदा में संस्वीकृति की तिथि से 90 माह तक का विलंब हुआ था।

(पैरा 4.3.1)

- मदों में -100 प्रतिशत से लेकर +10469 प्रतिशत तक के अनुमत सीमा से अधिक की विचलन थी जो दर्शाता है कि विस्तृत अनुमानों में उल्लेखित निर्माण कार्यों के मदों की संख्या वास्तविक नहीं थी तथा फील्ड सर्वेक्षण तथा स्थल परिस्थितियों पर आधारित थी। ऐसे मदों की कुल राशि ₹82.88 करोड़ थी।

(पैरा 4.5.2)

- 305 निर्माण कार्यों में कार्यकारी एजेंसियों द्वारा ₹30.16 करोड़ की कीमत के अतिरिक्त मद निष्पादित किए गए थे। 132 निर्माण कार्यों में, ₹10.80 करोड़ के लिए प्रतिस्थापित मदों (1 से लेकर 24 मदों तक) को निष्पादित किया गया था।

(पैरा 4.5.3 & 4.5.4)

- 129 पूर्ण हुए निर्माण कार्यों में, ₹63.02 करोड़ की अधिक लागत हुई थी। इस के अतिरिक्त, निर्माण कार्य जोकि कार्याधीन थे तथा अपूर्ण थे, उसमें दिसम्बर 2014 तक ₹85.03 करोड़ तक की अतिरिक्त लागत थी। इस प्रकार, कुल ₹148.05 करोड़ की अधिक लागत हुई थी।

(पैरा 4.5.5.1)

- विभाग द्वारा प्लिंथ क्षेत्रफल की गलत गणना, ड्राइंग में संशोधन, अनुमान में संशोधन तथा स्थल परिस्थितियों आदि के कारण 189 पूर्ण हुए निर्माण कार्यों में ₹289.08 करोड़ की बचतें थी।

(पैरा 4.5.5.1)

4. कार्यकारी एजेंसियॉं - एक तुलनात्मक विश्लेषण

- सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने पी.डब्ल्यू.ओ. की तुलना में निर्माण कार्यों की निविदा में अधिक समय लिया था। निर्माणकार्य देने में विलंब के कारणवश उनके पूर्ण होने में विलंब हुआ जिसके कारण अधिक लागत हुई थी।

(पैरा 5.2)

- सभी कार्यकारी एजेंसियां अर्थात् सी.पी.डब्ल्यू.डी., पी.डब्ल्यू.ओ. तथा सी.ए.पी.एफ. के अपने अभियांत्रिकी स्कंध होते हुए लगभग सभी निर्माण कार्यों में एन.आई.टी को जारी करने से पूर्व स्थानीय प्राधिकारियों से अनुमोदन नहीं लिया था।

(पैरा 5.3)

- सी.पी.डब्ल्यू.डी. के निर्माण कार्यों के बाद विभागीय निर्माण कार्यों तथा पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों में अधिक विचलन थे। यह इस तथ्य को दर्शाता है कि विस्तृत अनुमानों में उल्लेखित निर्माण कार्य के मदों की संख्या वास्तविक नहीं थी तथा विस्तृत फील्ड सर्वेक्षण पर आधारित थी तथा स्थल परिस्थितियों के अनुसार थी।

(पैरा 5.4)

- जांच किये गये 710 निर्माण कार्यों में से, 405 निर्माण कार्यों में 1 से लेकर 66 महीनों तक का विलंब हुआ था। सभी एजेंसियां निर्माण कार्य को पूरा करने में विलंब में लगभग समान स्तर पर थे। कार्य के पूर्ण होने में विलंब के परिणामस्वरूप लागत सूचकांक के बढ़ने के कारण लागत में बढ़ोतरी हुई तथा परिहार्य वित्तीय भार उत्पन्न हुआ।

(पैरा 5.5)

- सभी कार्यकारी एजेंसियों द्वारा निष्पादित पूर्ण हुए निर्माण कार्यों में काफी बचतें हुई थीं। सी.पी.डब्ल्यू.डी. में ₹172.85 करोड़ की कीमत के 129 निर्माण कार्यों तथा एन.बी.सी.सी. में ₹71.71 करोड़ के 13 निर्माण कार्यों में काफी बचतें पाई गई थी। यह बजटीकरण एवं व्यय संस्वीकृति में खराब वित्तीय नियंत्रण को दर्शाता है।

(पैरा 5.7)

5. गुणवत्ता आश्वासन, मॉनीटरिंग, परिसंपत्तियों का उपयोग एवं अनुरक्षण

- सी.पी.डब्ल्यू.डी. के गुणवत्ता आश्वासन स्कंध द्वारा निरीक्षण का कोई अभ्यास नहीं था। इसके अतिरिक्त, पी.डब्ल्यू.ओ. अर्थात् एन.बी.सी.सी., एन.पी.सी.सी. एक ई.पी.आई.एल., एच.पी.एल. आदि में गुणवत्ता आश्वासन स्कंध नहीं थे। इसकी अनुपस्थिति में, पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा इमारत की गुणवत्ता पर दिया गया आश्वासन संदेहास्पद था।

(पैरा 6.1.1)

- गुणवत्ता जांच चूकें अर्थात् पदार्थ एवं जल की जांच न होना, वास्तविक रूप से इस्तेमाल किए गए, के अलावा ब्रैंड की टेस्टिंग, असंस्वीकृत ब्रैंड का उपयोग आदि सी.पी.डब्ल्यू.डी./पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों में पाए गए थे। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा द्वारा साइट दौरे/भौतिक जांच के दौरान खराब गुणवत्ता के निर्माण कार्य अर्थात् क्वार्टरों में दीवारों में दरारें, दीवारों से प्लास्टर का उतरना, सड़कों में दरारें, रिहायशी क्वार्टरों में रिसाव आदि पाए गए थे।

(पैरा 6.1.2)

- सी.पी.डब्ल्यू.डी./पी.डब्ल्यू.ओ. तथा सी.पी.डब्ल्यू.डी. के 98 प्रतिशत निर्माण कार्यों मे सी.ए.पी.एफ. तथा पी.डब्ल्यू.ओ के 100 प्रतिशत निर्माण कार्य (84 प्रतिशत निर्माण कार्यों के साथ एन.बी.सी.सी. को छोड़कर) तथा सी.ए.पी.एफ. के विभागीय निर्माण कार्यों के बीच तीसरे दल द्वारा निरीक्षण हेतु एम.ओ.यू. में प्रावधान नहीं बनाया गया था।

(पैरा 6.1.5)

- सी.पी.डब्ल्यू.डी. के पास वेब आधारित परियोजना प्रणाली थी परंतु डाटा न तो सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा सी.ए.पी.एफ. को प्रदान किया गया था और न ही सी.ए.पी.एफ. ने इसके लिए कहा था।

(पैरा 6.2.1.6)

- विद्युत आपूर्ति के लिए बिना किसी प्रावधान, सक्रिय करने में विलंब आदि जैसी कमियों के कारण कई मामलों में विभिन्न आवासीय एवं कार्यालय इमारतें प्रदान नहीं की जा सकी तथा इन्हें उपयोग में नहीं लाया जा सका था। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्मित इमारतों को कई मामलों में अपेक्षित उद्देश्य के लिए उपयोग में नहीं लाया गया था।

(पैरा 6.3.1 एवं 6.3.2)

- सी.ए.पी.एफ. के लिए पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का रखरखाव पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा नहीं किया जा रहा था क्योंकि इमारत के रखरखाव के लिए कोई प्रावधान उनके एम.ओ.यू. में शामिल नहीं था। सी.पी.डब्ल्यू.डी. इन इमारतों का रखरखाव करने के लिए इस तथ्य पर तैयार नहीं था कि यह इमारतें उनके द्वारा निर्मित नहीं थीं। पी.डब्ल्यू.ओ. जिसने इनका निर्माण किया था, वह रखरखाव के लिए अत्यधिक प्रभार अर्थात् अभिकरण प्रभार के रूप में निर्माण की अनुमानित लागत के 20 प्रतिशत तक की मांग कर रहा था।

(पैरा 6.4)

6. वित्तीय अनियमितताएं

- 20 चयनित निर्माण कार्यों में, सी.ए.पी.एफ. द्वारा कार्यकारी एजेंसियों को ₹87.64 करोड़ तक की राशि के लामबंदी अग्रिम दिए गए थे, परंतु कार्यकारी एजेंसियों द्वारा लामबंदी अग्रिम के लिए कोई अलग परियोजना खाता नहीं रखा गया था।

(पैरा 7.1)

- यद्यपि निर्माण कार्यों को पूरा करने में 56 महीनों तक के विलंब थे, ठेकेदारों पर ₹19.86 करोड़ के क्षतिपूर्ति/परिनिर्धारित क्षति (एल.डी.) प्रभार नहीं लगाए गए थे।

(पैरा 7.2)

- ठेकेदारों/पी.डब्ल्यू.ओ. को संविदात्मक शर्त से अधिक के ₹6.42 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ था। मूल्य सूचकांक की गलत गणना, श्रमिक दरों, सीमेंट एवं इस्पात दरों आदि की दरों में बढ़ोत्तरी के कारण मुख्य रूप से अतिरिक्त भुगतान हुए थे।

(पैरा 7.3)

- सी.पी.डब्ल्यू.डी./पी.डब्ल्यू.ओ. ठेकेदारों से ₹4.26 करोड़ की राशि वैधानिक वसूलियों अर्थात् निर्माणकर्ता अनुबंध कर, श्रमिक उपकर, स्रोत पर काटा गया आयकर (टी.डी.एस.), मूल्यवर्धित कर (वैट) तथा रॉयल्टी की वसूली करने में विफल रहे थे।

(पैरा 7.5)

7. निर्माण गतिविधियों में बल-वार तुलना

- असम राइफल (ए.आर.) ने अपने निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नामांकन आधार पर सी.पी.डब्ल्यू.डी. तथा अन्य चयनित पी.डब्ल्यू.ओ. (100 प्रतिशत) को निर्माण कार्य प्रदान नहीं किया था, जबकि बी.एस.एफ. (21 प्रतिशत) तथा सी.आर.पी.एफ. (20 प्रतिशत) ने पी.डब्ल्यू.ओ. को प्राथमिकता दी थी, अन्य बलों ने सी.पी.डब्ल्यू.डी. को प्राथमिकता दी थी।

(पैरा 8.1)

- एस.एस.बी. में 45 प्रतिशत तथा सी.आर.पी.एफ. में 44 प्रतिशत चयनित निर्माण कार्यों ने प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति (ए.ए.एवं ई.एस.) देने में विलंब किया था।

(पैरा 8.3)

- एन.एस.जी. के 57 प्रतिशत निर्माण कार्य तथा आई.टी.बी.पी. के 47 प्रतिशत निर्माण कार्य कार्यकारी एजेंसियों द्वारा 6 महीनों के पश्चात प्रदान किया गया था। उसी प्रकार, सारे सी.ए.पी.एफ. में लगभग 50 प्रतिशत निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं किया गया था। यह सी.ए.पी.एफ. द्वारा कार्यकारी एजेंसियों द्वारा समन्वय की कमी तथा प्रभावी रूप से समय सीमाएं न लगाने को दर्शाता है।

(पैरा 8.5)

- वित्तीय अनियमितताएं अर्थात् वैधानिक वसूलियों की वसूली न होना, परिनिर्धारित क्षतियों, लामबंदी अग्रिम का गैर समायोजन तथा कार्यकारी एजेंसियों/ठेकेदारों से उस पर ब्याज सी.आर.पी.एफ. में सुस्पष्ट थे जिसका अनुसरण सी.आई.एस.एफ. तथा ए.आर. द्वारा किया गया था।

(पैरा 8.6)

हम क्या अनुशंसा करते हैं?

- एम.एच.ए./सरकार को पी.डब्ल्यू.ओ. के चयन के लिए वर्तमान प्रणाली में सुधार करना चाहिए ताकि पी.डब्ल्यू.ओ. में प्रतियोगिता की भावना आए और गुणवत्ता एवं निष्पादन में सुधार के साथ निर्माण की लागत भी कम हो जाए।
- एम.एच.ए. उचित स्तरों पर नियमित बैठकों के संरचनाबद्ध तंत्र की शुरूआत के माध्यम से राज्यों के साथ प्रशासनिक मुद्दों का निपटान करके सामयिक आधार पर भूमि का अधिग्रहण करने में सी.ए.पी.एफ. के लिए सरल बना सकता है।
- एम.एच.ए. को सी.ए.पी.एफ. द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु एक वर्ष एवं सात दिनों की समय सीमा को पुनः बनाना चाहिए क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा छानबीन किए गए किसी भी मामले में ऐसा नहीं पाया गया था। सर्वेक्षण के दौरान सी.ए.पी.एफ. को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि भूमि सभी ऋणभार से मुक्त हो।
- सी.ए.पी.एफ. को पी.ई. प्रस्तुत करने तथा ए.ए. एवं ई.एस. प्रदान करने के लिए समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। यह बाद के स्तरों के दौरान समय में बढ़ोत्तरी को कम करने में मदद कर सकता है।
- सी.ए.पी.एफ. को विभागीय रूप से निर्माण कार्य करवाने के लिए मानकों का निर्धारण करना चाहिए, क्योंकि योजना बनाने एवं निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन में अन्य पी.डब्ल्यू.ओ. की तुलना में यह बेहतर नहीं था।
- सी.ए.पी.एफ. को सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्माण कार्यों की जांच पी.डब्ल्यू.ओ. के गुणवत्ता आश्वासन स्कंध द्वारा की जाती हो। अन्य पक्ष निरीक्षण खंडों को गुणवत्ता आश्वासन स्तरों में बढ़ोत्तरी के लिए एम.ओ.यू. में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- सी.ए.पी.एफ. को सार्थक परिणामों को लाने के लिए मौजूदा मॉनीटरिंग तंत्र का व्यवहारिक उपयोग करना चाहिए।
- सी.ए.पी.एफ. ने अपने प्राथमिकता आकलन को केवल निर्माण गतिविधियों के पश्चात् ही शुरू किया था ताकि अभिप्रेत उद्देश्य के लिए इमारतों को तुरंत उपयोग में लाया जा सके।
- सी.ए.पी.एफ. को अपने रखरखाव के लिए एम.ओ.यू. में इमारतों के अनुरक्षण के लिए प्रावधान सम्मिलित करना चाहिए। इंजीनियरिंग स्कंधों वाले सी.ए.पी.एफ. को इस प्रक्रिया को आंतरिक रूप से शुरू करना चाहिए।